

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2014—श्रावण 22, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-5-27-2014-1-पचपन.—मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

- (1) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
- (2) अधिष्ठाता, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
- (3) अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
- (4) अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
- (5) अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
- (6) अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
- (7) अधिष्ठाता, बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर.

No. F-5-27-2014-1-LV.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994) the State Government hereby, appoints the following Officers as Appropriate Authorities for the purposes of the said Act, namely:—

- (1) Director, Medical Education Madhya Pradesh
- (2) Dean, Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore
- (3) Dean, Gandhi Medical College, Bhopal
- (4) Dean, Netaji Subash Chandra Bose, Medical College, Jabalpur
- (5) Dean, Gajra Raja Medical College, Gwalior
- (6) Dean, Shyam Shah, Medical College, Rewa
- (7) Dean, Bundelkhand, Medical College, Sagar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एस. कुमारे, उपसचिव